

# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462021

दूरभाष- +917552583660, ई-मेल dpi.atithi@gmail.com

क्रमांक / IT Cell / अति. शि. / 2022-23 / 479  
प्रति

भोपाल, दिनांक- 26/09/22

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
2. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त संकुल प्राचार्य मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

**विषय:-**शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में सह-अकादमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद शिक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की तिथि में वृद्धि।

- संदर्भ:-**1. संचालनालय के पत्र क्र/IT/अति.शि./2022-23/414 दिनांक 08.09.2022।  
2. संचालनालय के पत्र क्र/IT/अति.शि./2022-23/416 दिनांक 08.09.2022।


उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये विद्यालयों में विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध सह-अकादमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद शिक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

संदर्भित पत्र में उल्लेखित पदों को अतिथि शिक्षक पोर्टल में अपडेट करने की प्रक्रिया के दृष्टिगत सह-अकादमिक एवं खेलकूद विषय के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण की निम्नानुसार तिथि में वृद्धि की जाती है।

## समय सारणी-

क्र	गतिविधियाँ	समयसीमा
<b>अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण -</b>		
1	अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन	07.10.2022 से
2	विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना	12.10.2022
3	एस.एम.डी.सी. की बैठक	14.10.2022
4	अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में ज्वाइनिंग	15.10.2022 से

संदर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

  
(के.के. द्विवेदी)  
संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / IT Cell / अति. शि. / 2022-23 / 480  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक - 26/09/22

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. आई. टी. भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं उक्तानुसार अतिथि शिक्षक पोर्टल में सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. कलेक्टर समस्त जिले।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।



संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश